के लिए कार्रवाई के मुद्दे तैयार किए हैं। भू-उपयोग नीति की रूप-रेखा को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 6 फरवरी, 1986 को हुई राष्ट्रीय भू-उपयोग और पनधरा विकास परिषद की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था और इसे कार्रवाई हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को भेज दिया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय भू-उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने आंचलिक आधार पर भू-संसाधनों के संरक्षण, विकास और प्रबंध के लिये संदर्शी योजना तैयार करने का, कार्य संबंधित जोनों अर्थात् उत्तरी, पश्चिमी मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी अंचलों में जाने-माने संस्थानों/परामर्शदाताओं को सौंप दिया है। पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी अंचलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शेष 3 जोनों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी से अन्ततः भूमि पर दबाव कम हो जायेगा जिसके लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

उर्वरकों की खपत में कमी

2840. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण इनकी खपत में कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उर्वरकों की खपत में कमी आने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने की संभावना है ;

(घ) क्या सरकार देश के सीमांत और छोटे किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) अगस्त 1992 में नियंत्रणरहित फास्फेटयुक्त और पोटाश युक्त उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण वर्ष 1992–93 के दौरान उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 121.55 लाख मीटरी टन तक ही रही जो कि 1991–92 के दौरान हुई 127.28 लाख मीटरी टन की खपत से लगभग 4.5 प्रतिशत कम है। 1993–94 के दौरान इनकी खपत 123.66 लाख मीटरी टन तक हुई थी जो कि 1992–93 की खपत से 1.7 प्रतिशत अधिक है। 1994–95 के दौरान पोषक तत्वों की खपत लगभग 138.30 मीटरी टन होने की संभावना है।

(ग) उर्वरकों की खपत खाद्यान्न उत्पादन में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। खाद्यान्न उत्पादन 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान क्रमशः 168.4 मिलियन मीटरी टन, 179.5 मिलियन मीटरी टन और 182 मिलियन मीटरी टन हुआ था। 1994–95 में यही स्तर बरकरार रखने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सरकार छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों को स्वदेशी डाई अमोनियम फास्फेट और म्यूरिएट आफ पोटाश की बिक्री पर 1000 रुपये प्रति मीटरी टन की रिआयत और स्वदेशी मिश्रणों की बिक्री पर आनुपातिक रिआयत और स्वदेशी सिंगल सुपर फास्फेट की बिक्री पर 340 रुपये प्रति मीटरी टन की रिआयत दे रही है।

उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

2841. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गड़सा, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश स्थित उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय

केन्द्र में कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी गत 14-15 वर्षों से कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रोजगार केन्द्र से विधिवत् उनके नाम प्राप्त होने के बाद ही उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन व्यक्तियों को वर्ष में केवल छह मास ही काम पर रखा जाता है और उसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं ताकि वे कभी भी अपनी सेवाओं का नियमित किये जाने का दावा न कर सकें : और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी नीति तैयार करने का विचार रखती है, जिसके अंतर्गत इन व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित किये जाने पर विचार किया जा सके ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, हाँ। कुल्लू जिले (हिमाचल प्रदेश) के गरसा स्थित उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केन्द्र है, समय-समय पर अपनी जरूरतों के मुताबिक दिन-प्रतिदिन का काम करवाने के लिए दैनिक मजदूर रखे जाते है ।

(ख) जहां तक हो सकता है, स्थानीय रोजगार कार्यालय से नाम मंगाकर दैनिक मजदूरों को काम पर लगाया जाता है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नीति के अनुसार दैनिक मजदूरों को मौसमी कार्यों के लिए लगाया जाता है और काम समाप्त होने के बाद उन्हें हटा दिया जाता है ।

(घ) दैनिक मजदूरों को काम पर लगाने, उनकी मजदूरी, उनके अस्थाई दर्जे तथा उन्हें नियमित करने की नीति के बारे में परिषद भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों को यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू करती है ।

Milk Processing Plants

2842. SHRI SOM PAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are a large number of applications pending for setting up milk processing plants;

(b) if so, what is the exact number of such proposals received, cleared and pending during the last three years;

(c) what are the detailed reasons for continuing the restrictions on milk processing industry and not liberalising it; and

(d) what is the total number of units already working and the capacity thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NEAM): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Shifting of Agriculture to the Concurrent List

2843. SHRI SOM PAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is true that the Union Minister for Agriculture is in favour of and has suggested shifting of agriculture to the Concurrent List of the Constitution of India; and

(b) if so, what is the rationale thereof; and what decision is being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion is intended to ensure more coordinated and effective implementation of agricultural policies to benefit the whole country. No final decision has so far been taken in the matter.